



न्यायालय तहसीलदार तहसील शंकरगढ़ तहसील, जिला बलरामपुर (छत्तीसगढ़)

स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रेशन क्रमांक 2016-20-001957

आवेदन तिथि 30/05/2016

आवेदन संदर्भ क्रमांक 0707011620001817

प्रमाणित किया जाता है कि मंजीत कुमार पिता रामचन्द्र राम निवासी ग्राम-चांगरी तहसील-शंकरगढ़ तहसील जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी है।

यहाँ कि वह,

(1) छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी उरी व्यक्ति को माना जावेगा जो निम्नलिखित धारा में से एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता हो :-

✓ 1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हो,

2. (क) वह, अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई, अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्डियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा हो,

3. उसको पालकों में से कोई भी :-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी हो अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी हो, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत हो,

4. (क) वह स्वयं अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हो

परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त की पूर्ति भी करता हो :-

✓ 5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अतिभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की हो,

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षायें उत्तीर्ण की हों, अर्थात् :-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या आठवीं कक्षा की परीक्षा,

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडियेट, हायर सेकेंडरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गयी हो तो आठवीं कक्षा की परीक्षा,

(ग) अन्य मामलों में पाचवीं कक्षा की परीक्षा,

(2) उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे :-

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आर्बिट्रटि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारी / कर्मचारी तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर सट्टपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।

(घ) राज्य शासन के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पट्टर पदाधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान।

(3) उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जावेगा उसकी पत्नी / पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे। प्रदेश के स्थानीय निवासी माने जायेंगे।

अनुमोदन तिथि 15/06/2016

डिजिटल हस्ताक्षरित

शंकर कुमार मिश्र

मुख्य तहसीलदार

1. यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की सुविधा प्रणालिपि है जिसे चुनाव प्रौद्योगिकी अधिनियम 2005 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिवासन) नियम, 2005 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सक्षम व हीन अधिकार वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से अधिपतापित होने का सुरक्षण भी द्वारा किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र में निहित है।

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी edisnat.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning प्राप्त की जा सकती है।

4. यदि इस प्रमाण पत्र को किसी अधिकारी अथवा कार्यालय द्वारा ग्राहण करने से इंकार किया जाता है तो इसकी सूचना निम्न के पोस्ट वैधानिक सेवा केंद्र को दे अथवा दूरभाष क्रमांक 0771-2533350 पर संपर्क करें।



मुद्रण तिथि 16/06/2016

प्राप्त कला के हस्ताक्षर

शंकर कुमार मिश्र के हस्ताक्षर

